'हम चुप नहीं रहेंगे!'

सुनीता ठाकुर

बात 31 दिसंबर 1997 की है। हम लोग रांची में हुए छठे नारी मुक्ति संघर्ष सम्मेलन से लौट रहे थे। टाटा मूरी एक्सप्रेस से रात के साढ़े ग्यारह-बारह बज रहे होंगे। हम लोग नए साल का जश्न मनाने में मग्न थे। खाना-पीना, नाच-गाना—ज़िन्दगी जैसे दो पहियों पर दौड़ रही थी—वक्त से आगे निकल जाने की होड़ में। सामने की बर्थ पर बैठे तीन आर्मी जवान लगातार तानाकशी कर रहे हैं—यह बात भी हमसे छिपी नहीं थी पर स्थिति को हम नज़रन्दाज कर रहे थे। नशे में धुत जवान क्या बोलते समझाते उन्हें। हम लोग ट्रेन में चढ़े उससे पहले ही वे वहां बैठे थे—पिछले 12 घंटे से लगातार शराब पीना-पिलाना हम देख रहे थे। नशे में धुत घूरती आंखें जैसे सब निगल लेना चाहती थीं। जानते-बूझते भी सब छोड़ देना चाहते थे।

नई दिल्ली स्टेशन आ गया तो सभी एक-एक उतरने लगे—सभी लड़कियां उतर चुकी थीं। मैं और रमा सामान लेकर उतर ही रहे थे कि उतरते समय उन तीन में एक सरदार ने रमा को अड़ंगी मारकर गिराने की कोशिश की और वो लड़खड़ा गई। सरदार ने रमा को कमर में हाथ डालकर पकड़ लिया और उसकी जांघों को दबा दिया। मैं और रमा तिलमिला गए थे—उसने सरदार को एक थप्पड़ रसीद कर दिया जिससे चिढ़कर वह रमा पर झपट पड़ा। मेरी चीख निकल गई। अब सोचने का समय नहीं था—रमा और मैं दोनों उस पर टूट पड़े और घसीटते हुए उसे बाहर ले आए। पीछे-पीछे उसके साथी भी नशे में धुत उतर पड़े।

औरतों के साथ किसी भी तरह की छेड़खानी, यौन-हिंसा एक अपराध है जिसके लिए अपराधियों को सज़ा हो सकती है। फब्तियां कसना, घूरना, भद्दे इशारे, अश्लील गाने, चीजें दिखाना, बातें आदि हरकतें यौन-हिंसा का ही रूप हैं। औरतों को इसके खिलाफ़ आवाज़ उठानी ही होगी।

स्टेशन पर जब सबको पता लगा तो सभी हैरान रह गए—एक बार तो समझ में नहीं आया कि क्या करें। रेलवे-गार्ड, पुलिसवाला सभी इस घटना को सहज ले रहे थे कि सभी को गुस्सा आ गया—बावजूद हर कोशिश के हम उन लोगों का कुछ नहीं कर सके उस वक्त और पुलिस की मिली भगत से वे लोग चलती गाड़ी में सवार हो गए। हम लोग सिर्फ उनका नाम और बैच नम्बर ही नोट कर पाए। चार-घंटे लगे हमें उन लोगों के खिलाफ़ शिकायत दर्ज़ करवाने में।

कारण क्या था?

वास्तव में लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि लड़की के साथ छेड़खानी करना भी कोई अपराध

होता है। लगातार रेल अधिकारी हो या पुलिस वाला एक ही बात दोहरा रहे थे 'अरे बहनजी ऐसा तो होता ही रहता है—उतरते में हाथ लग गया होगा। ट्रेन का झटका खाकर लड़खड़ा गया होगा—पीए तो हुए ही है।" ट्रेन में शराब पीना भी उनके लिए जैसे कोई बड़ी बात नहीं थी—पहले तो कोई रिपोर्ट तक लिखने को तैयार नहीं था—सबके शोर मचाने और उनके खिलाफ़ रिपोर्ट लिखाने की धमकी देने पर कार्यवाही की गई।

हमें यह देखकर और भी दुख हुआ कि दूसरे लोग तमाशबीन बने हुए थे जैसे इस सबसे उनका कोई मतलब नहीं था, किसी ने भागते हुए उन अपराधियों को पकड़ने या जवाब तलब करने की जरूरत नहीं समझी।

आगे भी हम लोग चुप नहीं रहे। जागोरी के साथ-साथ अन्य संस्थाओं ने भी मिलकर इस संघर्ष में हमारा साथ दिया और आखिर जीत हमारी हुई। उस व्यक्ति (सरदार) और उसके दो साथियों को उनकी रेजीमेंट से बर्खास्त कर दिया गया व दिल्ली हाज़िर किया गया। वे हमसे (जागोरी में) माफ़ी मांगने आए, पर माफ़ी मांगना ही काफ़ी नहीं। उन्हें आज अपने बीवी बच्चों का ख्याल आ रहा है। इस तरह की बेज़ा हरकत करते समय उन्हें औरत की मर्यादा का ख्याल क्यों नहीं आया? हमारे इस सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं था।

आज उन तीनों के खिलाफ़ मिलिटरी कोर्ट में एक मुकदमा और जांच-कार्यवाही चल रही है।

संघर्ष जारी रहेगा

यहीं हमारी संघर्ष यात्रा समाप्त नहीं हो जाती। हमने आगे भी इस घटना को आधार बनाकर एक नुक्कड़ नाटक का रूप दिया। इस नाटक में दो अन्य सीन भी थे जो एक साधू द्वारा ट्रेन में औरत को छेड़ने और शराबी लोगों द्वारा लड़कियों पर फब्तियां कसने की घटना को लेकर थीं। नाटक के तीनों ही सीन या दृश्य इस यौन-शोषण के खिलाफ़ औरत की चुप्पी तोड़ने की प्रेरणा देते हैं।

इसी घटना से प्रेरणा लेकर हमने एक रेल आंदोलन की शुरूआत भी की है जिसमें हमारी पूरी ताकत इस बात पर थी कि औरतों को पता चले कि इस तरह की छेड़खानी यौन-हिंसा एक अपराध है उसके लिए अपराधियों को सजा हो सकती है। फब्तियां कसना, घूरना, भद्दे इशारे, अश्लील गाने, चीज़ें दिखाना, बातें आदि हरकतें यौन-हिंसा का ही रूप हैं। औरतों को इसके खिलाफ़ आवाज़ उठानी ही होगी।

साथ ही पुलिस व रेल अधिकारियों को भी इसके खिलाफ़ कार्यवाही करने पर मज़बूर करना होगा।

इस आंदोलन की शुरूआत आठ मार्च महिला दिवस पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर की गई। हमें यात्रियों रेल अधिकारियों और जनता का पूरा सहयोग मिला।

अच्छा लगा देखकर कि लोगों ने इसमें पूरी रूचि ली, जानकारी ली, हमारे पोस्टर, पैम्फ्लेट/पर्चे ध्यान से पढ़े।

हममें आशा की नई किरणें जाग उठीं और हम फ़ैसला कर बैठे कि इस आंदोलन को जारी रखेंगे—हर महीने आठ तारीख को इसी तरह स्टेशनों पर पोस्टर एवं पर्चे बांटकर लोगों में चेतना जगाने का काम ज़ारी रखेंगे।

(क्रमशः पृष्ठ 31 पर)

हम चुप नहीं रहेंगे

(पृष्ठ 28 का शेष)

हम जानते हैं कि यह एक मुश्किल काम है, लेकिन असंभव नहीं। अलग-अलग राज्यों की संस्थाओं से भी हमें सहयोग और हौसला मिला है। हम आप सबका सहयोग इस आंदोलन को चलाने के लिए मांग रहे हैं ताकि पूरी ताकत, जोश और हिम्मत के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों में यह चेतना जगाई जा सके कि रेलगाड़ियों में या आम जगहों पर यौन-हिंसा आम बात नहीं बल्कि जुर्म है जिसके लिए सज़ा हो सकती है। □